सराड़ा

29/11/19

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप. प्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। न्यायालय में इनके लिए विधिवत रूप से रुक-रुक बार-बार आवाजे लगवाई गई। इसके उपरान्त भी विपक्षीगण न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। अत: विपक्षीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर खा. पत्रा. किया गया। पत्रा. फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला–उदयपुर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराडा जिला – उदयपुर

बजरिये श्री दिनेशचन्द धाकड आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 08 / 2018

उनवान

1. श्री मनजीराज पिता होमाजी जाति मीणा निवासी ढेलाई तहसील सराडा जिला उदयपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री वासुराम पिता मानाजी मीणा निवासी परसाद फला ढाकनिया,महुवाडा तहसील सराडा जिला उदयपुर
2. श्री शंकर पित भेराजी मीणा निवासी परसाद फला ढाकनिया,महुवाडा तहसील सराडा जिला उदयपुर

–विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीए एवं सपठित धारा 151 जा.दी.

::: निर्णय :::

दिनांकः 29.11.2019

उपस्थितिः– श्री प्रवीण पटेल अभिभाषक प्रार्थीगण।

संक्षेपतः प्रार्थनापत्र के तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 आरटीए एवं धारा 151 जा.दी. के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने एक वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का विपक्षीगण के विरूद्ध पेश किया है तथा निवेदन किया है कि मौजा परसाद पटवार हल्का परसाद खातासं 322 आराजी नं. 2919 रकबा 0.10 कृषि भूमि स्थित है, जिसका एकमात्र खातेदार काश्तकार प्रार्थी है। इस आराजी से विपक्षीगण का किसी तह का कोई सम्बन्ध नहीं है, प्रार्थी को अकेला देखकर विपक्षीगण वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। दिनांक 10.01. 2018 को विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से हाथों में कुल्हाडी, पत्थर लेकर मौके पर आये और प्रार्थी को जमीन छोडकर भाग जाने एवं जान से मारने की धमकी दी। अतः प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि से विपक्षीगण बेदखल कर सकते है, इसलिए प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध यह वाद लाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि विपक्षीगण को

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला–उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी नं. 2919 रकबा 0.10 हेक्टेयर पर प्रार्थी को बेदखल नहीं करें, कृषि कार्य में रूकावट नहीं करे कोई कच्चा पक्का निर्माण ना करें, ना अन्य दूसरे से करावें।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 05.02.2018 को प्रार्थी अधिवक्ता को एकतरफा सुना जाकर अग्रीम आदेश तक वादग्रस्त आराजी पर अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी कर प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने, कच्चा पक्का निर्माण नहीं करने, खुर्द बुर्द ना करने बाबत विपक्षीगण को पाबन्द किया गया। नियत पेशी दिनांक 29.11.2019 को विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है। प्राईमाफेसी केस, सुबधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:: आदेश ::—

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 05.02.2018 को जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाकर विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौजा परसाद पटवार हल्का परसाद खातासं 322 आराजी नं. 2919 रकबा 0.10 कृषि भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने, कच्चा पक्का निर्माण नहीं करने, खुर्द बुर्द ना स्वयं करें, ना अन्य से करावें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेशचन्द्र धाकड)
उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा (उदयपुर) (राज.)

Scanned by CamScanner